



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 447) पटना, बुधवार 6 मई 2026

सं0 04/वन्यप्राणी-20/2026-2409/प०व०ज०प०

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

6 मई 2026

विषय :- संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना का नामकरण “पटना जू (Patna Zoo)” करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी का नामकरण “पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” करने की स्वीकृति।

वर्ष 1969 में महामहिम राज्यपाल के द्वारा राजभवन से स्थानांतरित 34 एकड़ भूमि पर वनस्पति उद्यान की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1972 में इसके विकास के लिए राजस्व विभाग की 58.2 एकड़ तथा लोक निर्माण विभाग की 60.75 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गयी तथा कुल 153 एकड़ भूमि पर इसका विकास जैविक उद्यान के रूप में किया गया। माह अक्टूबर 1980 में वन्यप्राणी सप्ताह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस उद्यान का नामकरण “संजय गाँधी जैविक उद्यान” किया गया।

- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में संजय गाँधी जैविक उद्यान के कार्यों को अधिक बेहतर एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने एवं जन-सुविधाओं की पूर्ति के लिए त्वरित निर्णय लेने हेतु “संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” का गठन

किया गया है, जिसका निबंधन सोसाईटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत दिनांक-26.12.2025 को कराया गया है।

4. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत “संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना” का नामकरण “पटना जू (Patna Zoo)” करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित “संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” का नामकरण “पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 447-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>